उपायुक्त का कार्यालय, सरायकेला–खरसावाँ।

(आपूर्ति शाखा)

:: अति अल्पकालीन निविदा सूचना ::

सरायकेला–खरसावाँ जिलान्तर्गत संचालित मुख्यमंत्री दाल–भात केन्द्रों के भोजन में पौष्टिकता के लिए सरकार द्वारा केन्द्रों में चना एवं सोयाबीन बड़ी मुफ्त में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक केन्द्र के लिए प्रति दिन चावल तथा सप्ताह के चार दिन चना एवं तीन दिन सोयाबीन बड़ी उपलब्ध कराना है। इसके लिए जिलान्तगर्त कुल 2000 व्यक्तियों के लिए दाल–भात योजनान्तगर्त नगर पंचायत के अधीन पड़ने वाले प्रति केन्द्र को प्रति दिन 60 किलोग्राम चावल / 3.5 किलोग्राम चना / सोयाबीन बड़ी तथा ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक प्रखण्ड केन्द्र को प्रति दिन 40 किलोग्राम चावल / 2.5 किलोग्राम चना / सोयाबीन बड़ी की दर से आपूर्ति केन्द्र संचालकों को की जायेगी। यह निविदा **31 मार्च, 2020 तक** के लिए ही मान्य होगा। जिलान्तर्गत सभी प्रखण्ड के केन्द्रों को चना एवं सोयाबीन बड़ी उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है :–

1. अल्पकालीन निविदा दिनांक 24-06-2019 के 01:00 बजे अप0 तक जिला आपूर्ति कार्यालय में जमा किया जायेगा।
2. चावल का अधिकतम मूल्य 28.00 रुपये प्रति किलो एवं चना का अधिकतम मूल्य 55.00 रुपये प्रति किलो तथा सोयाबीन का अधिकतम मूल्य 70.00 रुपये प्रति किलो है।
3. चावल, चना एवं सोयाबीन का नमूना टेक्निकल बीड वाले लिफाफा के अन्दर देना आवश्यक है।
4. निविदा उसी दिन दिनांक 24-06-2019 को अप0 03:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में निविदादाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में दर निर्धारण समिति के समक्ष खोला जायेगा।
5. निविदा के साथ आयकर / GST प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
6. समान स्थितियों में स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी, किन्तु उन्हें निवास प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
7. निविदादाता प्रखण्डवार दाल–भात केन्द्र से संबंधित जानकारी जिला आपूर्ति कार्यालय या संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति कार्यालय से प्राप्त कर लेंगें।
8. अल्पकालीन निविदा के साथ अग्रधन के रुप में 10,000.00 (दस हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा, जो उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ के पक्ष में देय तथा भारतीय स्टेट बैंक, सरायकेला में भुगतेय होगा।
9. फिनांनसियल बीड एवं टेक्नीकल बीड अलग–अलग लिफाफा में देना होगा। टेक्निकल बीड योग्य पाए जाने पर ही फिनांनसियल बीड वाले लिफाफे को खोला जायेगा। दोनों लिफाफा को एक अन्य सील बन्द लिफाफा में देना होगा।
10. न्यूनतम निविदादाता / निविदादाताओं को स्वीकृति प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी अथवा अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के साथ एकरारनामा करना होगा।
11. स्वीकृत निविदादाता / निविदादाताओं को सामग्री की आपूर्ति अगले माह शुरु होने के पूर्व माह के अंतिम सप्ताह में सभी केन्द्रों को सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य है।
12. स्वीकृत निविदाता / निविदादाताओं को जिला अन्तर्गत सभी प्रखण्डों (शहरी/ग्रामीण क्षेत्र) में संचालित दाल–भात केन्द्रों तक सामग्री की आपूर्ति करना होगा एवं अलग से किसी प्रकार का परिवहन भत्ता या अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
13. बिना कारण बताये अधोहस्ताक्षरी द्वारा निविदा को रद्द किया जा सकता है।

08/6/19

उपायुक्त

सरायकेला–खरसावाँ।